राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 244/2025

भंवर लाल मेघवाल –अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. अतिरिक्त आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. जिला परिषद्, बीकानेर जरिये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बीकानेर।
4. पंचायत समिति, बीकानेर जरिये विकास अधिकारी, बीकानेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 13.01.2025
आदेश की दिनांक : 27.01.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर : सुश्री राधिका महरवाल, अति. राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में संशोधन कर संशोधित अपील मय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की, उस पर उनको सुना गया। संशोधित अपील प्रस्तुत करने का प्रार्थना–पत्र स्वीकर कर संशोधित अपील को रिकॉर्ड पर लिया गया।

प्रस्तुत अपील राज्य सरकार की अपीलार्थी के स्थानान्तरण करने के संबंध में अभिशंषा दिनांक 09.01.2025 (अनुलग्नक–1) एवं जिला परिषद, बीकानेर द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 14.01.2025 (अनुलग्नक–2) के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी वर्तमान में कनिष्ठ सहायक के पद पर पंचायत समिति बीकानेर में कार्यरत है एवं आलौच्य आदेश द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान पंचायत समिति बीकानेर से पंचायत समिति लूणकरणसर किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि आलौच्य आदेश में राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 289 की पालना नहीं की गई है। उनका यह कथन है कि राज्य सरकार को पंचायती राज नियम 1994 की धारा 89 (8ए) में कर्मचारियों की स्थानान्तरण करने की सम्पूर्ण शक्तियां प्रदत्त है परन्तु पत्र दिनांक 09.01.2025 द्वारा राज्य सरकार द्वारा संबंधित जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को

स्थानान्तरण करने के संबंध में अभिशंषा की गई है। यह कोई स्थानान्तरण आदेश नहीं है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीकानेर द्वारा राज्य सरकार की उक्त अभिशंषा के आधार पर अपीलार्थी का स्थानान्तरण आलौच्य आदेश दिनांक 14.01.2025 द्वारा पंचायत समिति बीकानेर से पंचायत समिति लूणकरणसर किया गया है जिसमें अपीलार्थी के स्थानान्तरण का प्रकरण जिला परिषद की जिला स्थापना समिति के समक्ष नहीं लाया गया है। उनका कथन है कि राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 289 (ii) के अनुसार जिला परिषद की जिला स्थापना समिति के समक्ष प्रकरण रखा जाना आवश्यक है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद की स्वीकृति के बिना स्थानान्तरण करने के लिए सक्षम नहीं है। साथ ही उनका यह भी निवेदन है कि राज्य सरकार द्वारा की गई अभिशंषा और मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश में अपीलार्थी के पदस्थापन के संबंध में ग्राम पंचायत के संबंध में कोई अंकन नहीं किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि बिना मस्तिष्क का प्रयोग किए आलौच्य आदेश जारी किया गया है। अतः आलौच्य आदेश निरस्त करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से राजकीय अधिवक्ता राधिका महरवाल द्वारा निवेदन किया गया कि राज्य सरकार को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 89 (8ए) के तहत कर्मचारियों के स्थानान्तरण करने के लिए शक्तियां प्राप्त है और राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों की पालना में ही मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा स्थानान्तरण आदेश जारी किया गया है, जिसमें किसी तरह की अनियमितता प्रतीत नहीं होती है इसलिए अपील खारिज किए जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में हम पाते है कि पंचायती राज अधिनियम 89 (8ए) के तहत राज्य सरकार को स्थानान्तरण करने के संबंध में पूर्ण शक्तियां प्रदत्त है परन्तु पत्र दिनांक 09.01.2025 द्वारा राज्य सरकार ने कर्मचारियों के स्थानान्तरण आदेश जारी नहीं किए है बल्कि संबंधित जिलो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद को स्थानान्तरण करने हेतु अभिशंषा की गई है। राज्य सरकार द्वारा अभिशंषा किए जाने की दशा में पंचायती राज नियम 1996 के नियम 289 और 290 में स्थानान्तरण करने हेतु प्रक्रिया निर्धारित है। जिसमें प्रकरण को जिला परिषद की जिला स्थापना समिति के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। आलौच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 14.01.2025 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि प्रकरण जिला परिषद की जिला स्थापना समिति के समक्ष प्रकरण नहीं रखा गया है और राज्य सरकार की अभिशंषा के आधार पर ही यह आलौच्य स्थानान्तरण आदेश जारी किया गया है। राजकीय अधिवक्ता का कथन है कि प्रकरण जिला परिषद की जिला स्थापना समिति के समक्ष रखा गया है

परन्तु इस संबंध में कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं कराये गये है। साथ ही स्थानान्तरण आदेश में किसी ग्राम पंचायत में पदस्थापन का विवरण नहीं किया गया है, जहां कि अपीलार्थी को पदस्थापित किया गया है। केवल मात्र पंचायत समिति लूणकरणसर अंकित किया गया है। इस संबंध में विद्वान् अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 14638/2019 चन्द्र कांता बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य एवं एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 790/2025 उदय भान बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य और एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 1311/2025 हरदेव पालीवाल बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित निर्णय की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई और निवेदन किया कि आलौच्य आदेश बिना प्रशासनिक आवश्यकता के बिना मस्तिष्क के जारी किया गया है। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे समान प्रकरणों को नियम विरूद्ध मानते हुए याचिका स्वीकार की है।

उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आलौच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 14.01.2025 को अपीलार्थी के संबंध में अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी को वही कार्यरत रखा जावे जहां अपीलार्थी आलौच्य आदेश जारी करने से पूर्व कार्यरत था। यहा यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रशासनिक आवश्यकता के दृष्टिगत प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी का नियमानुसार स्थानान्तरण करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य